

प्रेषक,

सचिव,
बेसिक शिक्षा विभाग,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
खाद्य एवं औषधि प्रशासन,
उ०प्र०, लखनऊ।

दिनांक ०४-०५-२०१५, २०१५

विषय: प्रदेश के जनपदों में कार्यरत खाद्य निरीक्षकों/खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत पके पकाए भोजन के नमूनों की जाँच कर भोजन की गुणवत्ता के अनुश्रवण के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण के पत्रांक:म०भौ०प्रा०/सी० ३४००/२०१३-१४ दिनांक ०३ जनवरी, २०१४ का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके माध्यम से अवगत कराया गया है कि मध्यान्ह भोजन योजना की संवेदनशीलता के दृष्टिगत योजना के प्रारम्भ से ही समय-समय पर शासन तथा प्राधिकरण द्वारा यह निर्देश प्रसारित किए गए हैं कि जनपदों में कार्यरत खाद्य निरीक्षकों/खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत विद्यालयों में उपलब्ध कराए जा रहे पके पकाए भोजन के नमूनों की जाँच कराई जाए तथा भोजन की गुणवत्ता का अनुश्रवण कराया जाए। इस संबंध में भारत सरकार द्वारा भी निर्देशित किया गया है कि विद्यालयों में उपलब्ध कराए जा रहे भोजन के नमूनों की सरकारी खाद्य प्रयोगशालाओं में नियमित रूप से जाँच कराई जाए। किन्तु जनपदों से प्रायः यह सूचना प्राप्त हो रही है कि उक्त कार्य नियमित रूप से नहीं हो पा रहा है।

अतः पुनः अनुरोध है कि अपने स्तर से खाद्य निरीक्षकों/खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें कि वह सप्ताह में एक बार तथा माह में न्यूनतम चार बार पके पकाए भोजन के नमूनों की जाँच कराएँ तथा संलग्न प्रारूप पर अपनी आख्या जनपदीय टास्क फोर्स की बैठक में प्रस्तुत करें। साथ ही रिपोर्ट की एक प्रति जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में भी उपलब्ध कराएँ, जिससे कि प्राधिकरण द्वारा इस संबंध में विकसित मासिक प्रगति आख्या के प्रारूप पर मासिक सूचना संकलित की जा सके।

संलग्नक: यथोक्त।

भवदीय,

Khu
(एच.एल. गुप्ता)
सचिव

पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि: समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश को इस आशय से प्रेषित कि टास्क फोर्स की बैठक के एजेण्डा में उक्त को भी सम्मिलित कर लिया जाए तथा खाद्य निरीक्षकों/खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराई गए रिपोर्ट में पाई गई स्थिति की सूचना संकलित कर मासिक प्रगति आख्या प्रपत्र में अंकित कराई जाए।

Khu
(एच.एल. गुप्ता)
सचिव